

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राज0जयपुर

क्रमांक:- ई-12/एम/नियु0/2017/552

दिनांक 7/7/17

आदेश

निदेशालय द्वारा मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु गठित समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित आश्रितों को राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी सेवा में सीधी भर्ती के पद पर उनके नाम के सम्मुख पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्त किया जाकर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों के अधीन रिक्त पद पर किया जाता है। परिवीक्षा की कालावधि के दौरान निम्न आश्रितों को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:एफ.11(7)/एफडी/रूल्स /08 दिनांक 12.9.08 एवं एफ.14(1) एफ.डी./रूल्स/ 2013-1 दिनांक 28.6.2013 एफ.14(1)एफ.डी./रूल्स/2013 पी.टी जयपुर दिनांक 8.5.2015 राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे) नियम 2008 के शिड्यूल-4 (नियम 21) के द्वारा नियत 6670/- रुपये मासिक पारिश्रमिक संदत्त किया जावेगा। परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड बॉय/स्वीपर के पद का नियमित पे बैंड 5200-20200 में ग्रेड पे 1700 अनुज्ञात किया जावेगा :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम व पता	आवेदक की जन्मतिथि	आवेदक की शैक्षणिक योग्यता	पद जिसपर नियुक्ति दी जा रही है	पदस्थापन स्थान	संबंधित. द्वारा नियु. हेतु दी गई अभिशंसा का क्रमांक दि०
1	श्री बजरंग सिंह पुत्र स्व० श्री परमानन्द, वार्ड बॉय निवासी- तेलियों की गली, बडा बाग के अन्दर, निमाज तहसील-जेतारण, जिला-पाली	01.05.1981	कक्षा-10 अनुत्तीर्ण	च०श्रे०क०	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के अधीन	03 दिनांक 6.4.2017
2	श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व० श्री ज्ञानचन्द, वार्ड बॉय, निवासी- वार्ड नं.7, गोलूवाला, निवादान, तहसील- पीलीबंगा, जिला- हनुमानगढ	05.06.1984	कक्षा-5 उत्तीर्ण	च०श्रे०क०	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ के अधीन	4459 दिनांक 2.5.2017
3	श्री दिलीप कुमार पुत्र स्व० श्रीमति रामकन्या, वार्ड मेड, निवासी- बृजराज कॉलोनी, सिविल लाईन्स, नयापुरा, कोटा	01.07.1978	कक्षा-9 अनुत्तीर्ण	च०श्रे०क०	अधीक्षक, जे.के.लोन चिकित्सालय, कोटा के अधीन	419 दिनांक 8.3.2017
4	श्री महेन्द्र खोजा पुत्र स्व० श्री सोहनराम खोजा, मेल नर्स- निवासी- ग्राम पोस्ट- गुढा भगवानदास, तह०- खीवसर, जिला- नागौर	05.05.1989	कक्षा-8 उत्तीर्ण	च०श्रे०क०	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के अधीन	3910-12 दिनांक 29.5.2017
5	श्री भेरूसिंह पुत्र स्व० श्रीमति कमला बाई, वार्ड आया, निवासी- गांव- चतरपुरा, पोस्ट- घोसुण्डी, वाया- सरदारगढ, तहसील- आमेट, जिला- राजसमन्द	12.2.1994	कक्षा-8 उत्तीर्ण	च०श्रे०क०	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द के अधीन	50 दिनांक 8.2.2017
6	श्री प्रकाश हरिजन पुत्र स्व० श्री शंकर लाल हरिजन, स्वीपर निवासी- पुरानी आबादी, माण्डलगढ, जिला- भीलवाडा	11.12.1995	कक्षा-3 अनुत्तीर्ण	स्वीपर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा के अधीन	3749-52 दिनांक 1.5.17

राजस्थान सेवा नियमों के नियम 9 के अन्तर्गत उक्त आवेदकों को सरकारी सेवा में नवनियुक्ति पर प्रथम उपस्थिति के समय अपनी शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा का शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उक्त आवेदको का नियुक्ति पूर्व चरित्र एवं प्रागवृत्ति सत्यापन जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त करने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवायें। परन्तु नियुक्ति में प्रथम उपस्थिति के समय राजस्थान च0श्रे0 कर्मचारी सेवा नियम 1963 के अन्तर्गत अपने चरित्र के संबंध में दो चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पूर्व के न हो, ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो इनके कोई रिश्तेदार न हो। इनके द्वारा कार्यग्रहण करते समय सम्बन्धित अधिकारी को अपनी जन्म तिथि, शैक्षणिक सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्रादि प्रस्तुत करने होंगे। जिसकी जांच एवं संतुष्टि के उपरान्त ही सम्बन्धित अधिकारी इन्हें कर्तव्य पर लेंगे।

राज्य सरकार के मेमोरेण्डम संख्या एफ13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 28.1.04 एवं समसंख्यक मेमोरेण्डम दिनांक 27.3.04 के अन्तर्गत उक्त आवेदको पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प05(51)/कार्मिक/क-2/88 दिनांक 27.2.2001 के अन्तर्गत उक्त आवेदक अपने पारिवारिक सदस्यों का उचित तौर पर भरण पोषण करेंगे। नियुक्ति के तत्पश्चात किसी भी समय यह साबित हो जाता है कि परिवार के ऐसे आश्रित सदस्यों की उपेक्षा हो रही है या उसके द्वारा उचित तौर पर उनका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है तो शासन की इस अधिसूचना के अन्तर्गत उक्त आवेदको के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

उक्त आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के कम में संबंधित मु.चि.एवं स्वा.अधि./प्रमुख चिकि. अधि./निदेशक, आर.आर.सी./आवेदक द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में गलत तथ्य या विसंगति पाई गई तो यह अनुकम्पा नियुक्ति आदेश उस संबंधित आवेदन की सीमा तक प्रारम्भ से ही शुन्य होगा।

आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने का इन्द्राज मृतक की सेवा पुस्तिका में करें। इन्हें नियुक्ति आदेश प्रसारित होने की तिथि से एक माह की अवधि में कार्यग्रहण करना आवश्यक है, अन्यथा इस अवधि के पश्चात नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। इनके मूल आवेदन पत्रादि सम्बन्धित को प्रेषित किये जा रहे हैं, जिन्हें कर्मचारी की निजी पत्रावली में रखा जायेगा।

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफं.1(2)एफडी/नियम/06 दिनांक 13.3.06, क्रमांक एफ.16(2)एफडी/नियम/98 दिनांक 13.3.06 क्रमांक एफ012(6) एफडी/नियम/05 दिनांक 13.3.06 एवं कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प0(1)कार्मिक/(क-2)/2016 दिनांक 15.07.16 के प्रावधानों से शासित होगी।

SA  
(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक 7/7/17

क्रमांक:- ई-12/एम/नियु०/2017/552

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- निजी सचिव, मा० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री, राज० जयपुर।
- 2- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकि० एवं स्वा० विभाग, राज० जयपुर।
- 3- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राज० जयपुर।
- 4- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज० जयपुर।
- 5- वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
- 6- संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोन.....।
- 7- संबंधित अधीक्षक, चिकित्सालय..... /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी..... को भेजकर लेख है कि आवेदक का पुलिस वैरीफिकेशन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण कराये। नोट:-सम्बन्धित के आवेदन पत्रादि संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं (रजिस्टर्ड पत्र)।
- 8- प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
- 9- प्रभारी, सामान्य अनुभाग, मुख्यालय।
- 10- संबंधित आश्रित श्री.....
- 11- आदेश/निजी पत्रावली।

अति० निदेशक (प्रशा०)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर।